उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-168/2018/2957/92-2-18-56जॉच/2016
लखनऊ:: दिनांक 22 नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद गोरखपुर के 38 डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में कराये गये निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा रेण्डम आधार पर चयनित 12 ग्रामों में कराये गये स्थलीय निरीक्षण/तकनीकी जांच के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति एवं पर्यवेक्षणीय दायित्वों में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-1171/ 92-2-17-56जांच/2016 दिनांक 12-07-2017 द्वारा श्री रऊफ अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया था जो उनके पत्र दिनांक 17-03-2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया ।

2- शासन स्तर से निर्गत स्पष्टीकरण, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि श्री रऊफ अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-05-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके है तथा प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति में से अपना अंश धनराशि रू0 5,650.00 राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है। सेवानिवृत्त के दृष्टिगत उन्हें अब किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर भी नही रह गया है। अतएव श्री रऊफ अहमद सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता के विरूद्व शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 12.07.2017 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिवा

संख्या-168/2018/2957(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री रऊफ अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in